यू.पी. रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन

बनाम

भारत सरकार

5 अक्टूबर 2007

डा- अरिजीत पासायत और पी-सथाशिवम जे.जे.

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 32, सब्सिडी का आवंटन - भारत सरकार द्वारा रियायती गेहूं भण्डार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण पश्चिम बंगाल व असम राज्य आशायित लाभार्थियों की बजाय रियायतों दरों पर खुले बाजार में ला रहे हैं कई करोडों का नुकसान हो रहा है उच्चतम न्यायालय के समक्ष लिखित याचिका प्रस्तुत आयोजित किया गया सम्बन्धित समिति /ग्राम पंचायत /स्थानीय निकाय को निर्देश जारी किये गये कि आशायित लाभार्थियों के लिए गेहूं/आटे की आवश्यकता का आंकलन किया जाए जिसे राज्य सरकार को सूचित/संप्रेषित किया जाएगा तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इसकी उचित मूल्य की दुकान पर आपूर्ति की जाएगी] जिससे अंत में उपभोक्ता को आपूर्ति होगी।

तत्काल लिखित याचिका यह उजागर करने के लिए दायर की गई कि पश्चिम बंगाल व उत्तर पूर्वी राज्यों द्वारा उच्च रियायती गेहंw के

भण्डार को जो कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से वितरण के लिए आपूर्ति किये गये थे] विभिन्न राज्यों की आटा मिलों को दिया जा रहा है तथा जरूरतमंद उपभोक्ता व आशायित/इच्छित लाभार्थियों को वंचित किया जा रहा है व राजकोष का कई करोडों का नुकसान किया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों द्वारा आरोपों का खण्डन किया गया हालांकि असम सरकार को इस प्रकार के तौर-तरीकों से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी प्रभावित ना हो। असम सरकार द्वारा पाया गया कि लाभार्थियों को अनाज लेने में दिलचस्पी नहीं थी तथा इसके बजाय वे आटा चाहते थे और सावर्जनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरण हेतु मिलींग से मिल आटा बनने की व्यवस्था को गरीबी रेखा के ऊपर जारी रखना चाहते थे।

रिट याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि-

कार्यक्रम के उद्देश्य व आशय को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित रूपरेखा अपनाने का निर्देश दिया गया

1- सम्बन्धित संघ / ग्राम पंचायत/ स्थानीय निकाय इच्छित लाभार्थियों के लिए गेहूं की आवश्यकता का आंकलन करेंगे तथा उक्त आवश्यकता को राज्य सरकार को इंगित किया जाएगा।

2- वे लाभार्थियों को उनके विकल्प के आधार पर उन्हें दिए जाने वाले आटे में परिवर्तित होने वाली गेहूं की मात्रा के संबंध में भी संकेत देंगे। उक्त सूचना के आधार पर समिति@ग्राम पंचायत]स्थानीय निकाय राज्य सरकार को उक्त आवश्यकता सम्प्रेषित करेंगे।

3- आटे में परिवर्तित होने के लिए जो मात्रा दर्शाई जाएगी वह मिलों को दी जाएगी] जो गेहूं को आटे में परिवर्तित करने के पश्चात् उचित मूल्य की दुकान पर उसकी आपूर्ति करेंगी ताकि इच्छित लाभार्थी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित दरों पर उचित मूल्य की दुकान से उसे प्राप्त कर सकेंगे।

4- राज्य सरकारे यह सुनिश्चित करेगी कि समिती@ग्राम पंचायत@स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक आवश्यकता ही प्रस्तावित की गई है तथा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित करेंगी कि क्या मिलिंग के पश्चात् अंततः उपभोक्ताओं को आपूर्ति होने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आपूर्ति कर दी गयी है।

5- राज्य सरकारें प्रत्येक तिमाही में केन्द्र कोे सूचना के लिये आवश्यक आंकडे प्रस्तुत करेaगी जो कि यह भी सुनिश्चित करेगी की राज्य सरकारों द्वारा भीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समस्त

संभव कदम उठाये जा रहे हैं। (पैरा) (572&एफ जीः 573-ए बी सी डी)

सिविल मूल क्षेत्राधिकारः रिट याचिका (सिविल) संख्या 274@2005

भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 32 के तहत

1- श्री दिनेश कुमार गर्ग तथा वी-के-बीजू याचिकाकर्ताओं की ओर से।

2- श्री एम-एल- लाहोटी श्री पवन के.शर्मा तथा श्री हिमांशु शेखर अधिवक्ता आवेदक की ओर से।

3- श्री सी-ए- सुन्दरम, श्री रिकू शर्मा, श्री ताराचंद्र शर्मा, श्री नीलम शर्मा, श्री राजीवशर्मा, श्री किशन दत्ता, श्री प्रकाश जी, श्री सुनील राय, श्री आर-सी- काठिया व श्री वी-के-वर्मा उत्तरदाताओं@प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत जे. द्वारा उद्घोषित किया गया।

1- भारत का संविधान 1950 (संक्षेप में संविधान) के अनुच्छेद&32 के तहत प्रस्तुत उक्त याचिका में याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (संक्षेप में पीडीएस) के तहत आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य भण्डारों को मोडे जाने में खतरनाक वृद्धि हुई है । यह बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत पीडीएस के माध्यम से वितरण किये जाने हेतु आपूर्ति किए गए

उच्च रियायती गेहूं भण्डार को विभिन्न राज्यों की रोलिंग आटा मिलों की तरफ मोडा जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त भण्डार भारतीय खाद्य निगम (संक्षेप में एफ-सी-आई-) से प्राप्त किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य व उत्तर पूर्वी राज्यों का विशेष संदर्भ दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि जरूरतमंद उपभोक्ता तथा इच्छित लाभार्थियों को खाद्य भण्डारों की आपूर्ति करने की बजाय उसे खुले बाजार में भेजा जा रहा है। कई सांख्यिकी आंकडे प्रस्तुत किए गए। असम राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा विरोध करते हुए शपथपत्र पेश किए गए तथा आरोपों से इन्कार किया गया तथा यह प्रस्तुत किया गया कि खाद्यान्न को उचित लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए समस्त संभव तरीके व उपाय अपनाए जा रहे हैं।

2- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कुछ समाचारपत्रों की रिपोर्ट्स का संदर्भ देते हुय दर्शित किया कि 31 हजार करोड से अधिक मूल्य के खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गबन किया गया है।

3- विभिन्न राज्यों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उपरोक्त आरोपों का खण्डन किया गया। यह ध्यान में लाया गया कि भारत सरकार खाद्य व उपभोक्ता मामलों का मन्त्रालय, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 1997 से सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के खाद्य सचिवों को ध्यान में लाया गया

कि कस्टम मिलिंग की योजना को पत्र दिनांक 04-11-1996 द्वारा अनुबंधित की गयी स्पष्ट शर्तो पर दिनांक 31-10-1997 तक एक वर्ष की अवधि के लिए बढा दिया गया है। यह भी बताया गया कि उक्त योजना की अग्रिम समीक्षा की गई थी और यह निर्णित किया गया कि इसे आगे नहीं बढाया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की मिलींग रीति की योजना को वापस ले लिया गया@रोक दिया गया।

4- असम सरकार की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया कि राज्य ने उपरोक्त पत्र के आधार पर अनुवर्ती कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। एक रिट याचिका गोवाहटी उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गयी है, जिसमें भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार असम राज्य द्वारा की गई कार्यवाही पर सवाल उठाए गए हैं। विवादित संलग्नक एकल पीठ के विद्वान न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिए गए। उक्त मामले को रिट अपील के जरिये डिविजन बैंच के समक्ष लाया गया, जिसके द्वारा विद्वान एकल पीठ के न्यायाधीश के आदेशों अपास्त कर दिया गया है। हालांकि इस प्रकार के तौर-तरीकों से कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी प्रभावित नहीं होते हैं।

5- यह प्रतीत होता है कि असम राज्य ने यह पाया कि लाभार्थियों को सम्पूर्ण अनाज लेने में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसके स्थान पर वे आटा चाहते थे। इस पहलू की जांच केन्द्र सरकार द्वारा भी

करवाई गई थी। यह पाया गया कि चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों ने सम्पूर्ण अनाज लेने में अनिच्छा जाहिर की थी तथा इसके बजाय आटा लेने को प्राथमिकता दी। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सम्पूर्ण आटे के वितरण के लिए गरीबी रेखा से ऊपर मिलिंग को जारी रखने के असम सरकार के अनुरोध पर भी ध्यान दिया गया। असम राज्य की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि वितरण ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा सकता है जो कि बदले में लाभार्थियों की आपूर्ति के लिए गेहूं को आटे में परिवर्तित करवा सकती है।

6- याचिका कर्ताओं की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूसरी तरफ यह पेश किया गया कि इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि इससे जवाबदेही की कमी और छल व हेराफेरी की संभावना रहेगी। यह निर्विवादित है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत होने वाला वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाता है।

7- कार्यक्रम के उद्देश्यों व आशयों के मध्यनजर हम निम्नलिखित रूपरेखा को अपनाये जाने का निर्देश देते हैं-

1- सम्बन्धित संघ@ग्राम पंचायत@स्थानीय निकाय इच्छित लाभार्थियों के लिए गेहूं की आवश्यकता का आंकलन

करेंगे तथा उक्त आवश्यकता को राज्य सरकार को इंगित किया जाएगा।

2- वे लाभार्थियों को उनके विकल्प के आधार पर उन्हें दिए जाने वाले आटे में परिवर्तित होने वाली गेहूं की मात्रा के संबंध में भी संकेत देंगे। उक्त सूचना के आधार पर समिति@ग्राम पंचायत@स्थानीय निकाय राज्य सरकार को उक्त आवश्यकता सम्प्रेषित करेंगे।

3- आटे में परिवर्तित होने के लिए जो मात्रा दर्शाई जाएगी वह मिलों को दी जाएगी, जो गेहूं को आटे में परिवर्तित करने के पश्चात् उचित मूल्य की दुकान पर उसकी आपूर्ति करेंगी ताकि इच्छित लाभार्थी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित दरों पर उचित मूल्य की दुकान से उसे प्राप्त कर सकेंगे।

4- राज्य सरकारे यह सुनिश्चित करेगी कि समिती@ग्राम पंचायत@स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक आवश्यकता ही प्रस्तावित की गई है तथा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित करेंगी कि क्या मिलिंग के पश्चात् अंततः उपभोक्ताओं को आपूर्ति होने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आपूर्ति कर दी गयी है।

5- राज्य सरकारें प्रत्येक तिमाही में केन्द्र को सूचना के लिये आवश्यक आंकडे प्रस्तुत करेंगी जो कि यह भी सुनिश्चित करेगी की राज्य सरकारों द्वारा अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ससमस्त संभव कदम उठाये जा रहे हैं।

8- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उद्दश्यों की पूर्ति के लिए राज्यों द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

9- तदनुरूप रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी स्वाति परेवा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।